भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 617
जिसका उत्तर 25.07.2024 को दिया जाना है
राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेतु का ढहना

617. डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः
श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः
श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिलः
प्रोफ. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः
श्री संजय दीना पाटिलः
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते-पाटीलः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः
श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या देश में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेतु ढहने की घटनाओं में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सेतु ढहने की कितनी घटनाएं हुई हैं;
(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित सेतु के ढहने से विगत कुछ वर्षों के दौरान जान-माल का नुकसान हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त सेतु/परियोजना पर कार्य करने के लिए जिन कंपनियों को उप-ठेका प्रदान किया गया उनका ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने इन घटनाओं की जांच के आदेश दिए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसमें संलिप्त कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है/जांच लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार ने इन सेतुओं के दोषपूर्ण निर्माण के कारण होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए कोई सुरक्षा उपकरण लगाने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ड.) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के ढहने की कुछ घटनाएं हुई हैं । पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पुलों के ढहने का विवरण, जिसमें जान-माल की हानि, की गई जांच का विवरण और दोषी ठेकेदारों/रियायतग्राहियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, जहां भी लागू हो, अनुलग्नक में संलग्न है।

(च) मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग के एक भाग के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना रिर्पोट तैयार करने के भाग के रूप में मौजूदा पुलों की स्थिति का सर्वेक्षण करता है और गलियारा विकास परियोजना के भाग के रूप में मौजूदा पुलों की मरम्मत/जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण का कार्य करता है। मंत्रालय ने पुलों के निरीक्षण और मौजूदा पुलों की स्थिति के सर्वेक्षण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद संकट की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर उचित मरम्मत/ जीर्णोद्धार /पुनर्निर्माण किया जाएगा। मंत्रालय ने निरंतर/विभेदित तरीके से पुलों की वास्तविक समय संरचनात्मक स्वास्थ्य निगरानी के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश और मॉडल बोली दस्तावेज जारी किए हैं। मंत्रालय ने पुलों की स्थिति के आकलन और मरम्मत/जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण के लिए बाद में निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए व्यापक भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली भी शुरू की है।

अनुबंध

'राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेतु का ढहना के संबंध में 'डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे, श्री निलेश ज्ञानदेव लंके, श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल, प्रोफ. वर्षा एकनाथ गायकवाड़, श्री संजय दीना पाटिल, श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते-पाटील, श्रीमती सुप्रिया सुले, श्री भास्कर मुरलीधर भगरे, श्री बजरंग मनोहर सोनवणे द्वारा पूछे गए दिनांक 25.07.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 617 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों में ढहे पुलों का विवरण:

क्र. सं.	रारा सं.	राज्य	पुल का नाम / स्थान	पुल ढहने का विवरण	पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई जन हानि	ढहने का वित्तीय वर्ष	चूककर्ता ठेकेदार/रियायतग्राही के विरुद्ध की गई कार्रवाई
(i) मौजूदा स्थायी पुल और अस्थायी बेली पुल							
1	716	आंध्र प्रदेश	किमी 153/200	1977 में निर्मित, भारी बाढ़ के कारण इसमें खराबी आई	0	2021-2022	लागू नहीं
2	105	हरियाणा	किमी 7+706	अप्रत्याशित बाढ़ के कारण पुल क्षतिग्रस्त	0	2023-2024	लागू नहीं
3	105	हरियाणा	किमी 14+020		0	2023-2024	लागू नहीं
4	105	हिमाचल प्रदेश	किमी 17+661		0	2023-2024	लागू नहीं

5	46	मध्य प्रदेश	किमी 77.900	जर्जर पुल पर ओवरलोड ट्रकों के आवगमन के कारण खराबी हुई	0	2022-2023	भारी माल के परिवहनकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पीआईयू- हरदा द्वारा कानूनी नोटिस भी दिया गया है
6	62	मेघालय	किमी 217	भारी बाढ़ के कारण बह गया	0	2022-2023	लागू नहीं
7	326	ओडिशा	किमी 297/520	पुराना पुल	0	2022-2023	लागू नहीं
8	16	ओडिशा	किमी 79+614	जंग लगने के कारण पियर एज इंटरफेस पर पियर कैप की खराबी और ट्रांसवर्स स्टील सुदृढीकरण (पियर की चौड़ाई के साथ) की टेंसिल खराबी। पियर कैप में सुदृढीकरण के प्रावधान में संभावित कमी	0	2023-2024	(1) निर्माण ठेकेदार मेसर्स गैमन इंडिया लिमिटेड पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया (2) पुल निर्माण के तत्कालीन पर्यवेक्षण सलाहकार यानी मेसर्स एलबीएलएल-एनआईसीई (जेवी) पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। (3) डीपीआर सलाहकार मेसर्स शेलाडिया एसोसिएट्स को 1 वर्ष के लिए विवर्जित किया गया। (4) मौजूदा रियायतग्राही मेसर्स डीबीएल चंदिखोले भद्रक हाईवेज लिमिटेड से डीपीआर तैयार करने की लागत की वसूली सहित संपूर्ण सुधारात्मक उपायों/ पुनर्निर्माण की लागत वसूल की गई। (5) स्वतंत्र इंजीनियर मैसर्स टीपीएफ जेंटिसा यूरोस्टूडियोज एसएल विद सेगमेंटल पर 20 लाख रुपये का जुर्माना और 1 वर्ष के लिए विवर्जित (6) पर्यवेक्षण सलाहकार अर्थात मेसर्स एलबीएलएल-एनआईसीई (जेवी) से तत्कालीन श्री आरके सिंह, सीनियर ब्रिज इंजीनियर के खिलाफ 3 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है।
9	510	सिक्किम	सिरवानी ब्रिज (किमी 0+200)	हिमनद झील के फटने के कारण बाढ़ आई	0	2023-2024	लागू नहीं

10		उत्तर प्रदेश		भारी बाढ़ के कारण	0	2022-2023	लागू नहीं
11	44	जम्मू और कश्मीर	(किमी 46+305 से किमी 46+864)	यह एक प्राकृतिक आपदा थी, जिसमें अप्रत्याशित बारिश के कारण अत्यधिक बहाव के कारण निर्धारित डिजाइन सीमाओं से अधिक भूस्खलन हुआ और 3 खंभों की नींव क्षतिग्रस्त हो गई तथा स्पैन बैठ गए।	0	2023-2024	लागू नहीं
12	313	अरुणाचल प्रदेश	किमी 120	अतिभारित यातायात के कारण	0	2021-2022	लागू नहीं
13	एनएच-37 पुराना एनएच-53	मणिपुर	किमी 98.7	भारी लगातार बारिश के कारण अबुटमेंट का क्षरण।	0	2022-2023	लागू नहीं
14	एनएच-102बी	मणिपुर	किमी 120.9	अचानक बाढ़ और अतिभार	0	2022-2023	लागू नहीं
15	208	त्रिपुरा	किमी 180	अतिभारी वाहनों की आवाजाही के कारण	0	2022-2023	लागू नहीं

(ii) निर्माणाधीन पुल

1	131जी	बिहार	किमी 11+800	निर्माण कार्य के दौरान गर्डर ढहने की घटना घटी, जिसका कारण यांत्रिक खराबी बताया गया, जो उस समय हुई जब क्रॉस-गर्डर कार्य के लिए शटरिंग को स्थापित करने के लिए हाइड्रा क्रेन का उपयोग किया जा रहा था।	0	2022-2023	पर्यवेक्षण सलाहकारों में से दो व्यक्तियों और ठेकेदार पक्ष से दो व्यक्तियों को परियोजना से निलंबित/हटा दिया गया। इसके अलावा, आगे की दुर्घटनाओं से बचने के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा आवश्यक सुरक्षा उपाय सुझाए गए ।
2	20	बिहार	किमी 133+720	एलिवेटेड स्ट्रक्चर की क्रेन की विंच विफलता के कारण निर्माण के दौरान एक पीएससी गर्डर नीचे गिर गया।	1	2022-2023	पर्यवेक्षण सलाहकारों में से दो व्यक्तियों और ठेकेदार पक्ष से दो व्यक्तियों को परियोजना से निलंबित/हटा दिया गया। इसके अलावा, आगे की दुर्घटनाओं से बचने के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा आवश्यक सुरक्षा उपाय सुझाए गए ।
3	527ए	बिहार	किमी 10.270 से 10.330 (पी154-पी153)	निर्माण कार्य के दौरान गर्डर गिरने की घटना हुई, जिसका कारण यांत्रिक खराबी बताया गया	1	2023-2024	ठेकेदार के मुख्य परियोजना प्रबंधक एवं इंजीनियर (लॉन्चिंग) तथा प्राधिकरण के इंजीनियर के टीम लीडर सह वरिष्ठ ब्रिज इंजीनियर एवं सहायक ब्रिज इंजीनियर, जो ढहने के समय काम कर रहे थे, को प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा निलंबित कर दिया गया है।

4	66	केरल	किमी 72+297 वीयूपी (एल एच एस)	कंक्रीटिंग के दौरान स्टेजिंग की खराबी के कारण ढह गया	0	2022-2023	रियायतग्राही और परामर्शदात्री एजेंसियों पर कार्रवाई की गई। प्रमुख व्यक्तियों को 4 महीने तक निलंबित किया गया और जुर्माना लगाया गया।
5	66	महाराष्ट्र	किमी 212/105	निर्माणाधीन चिपलुन फ्लाईओवर का गर्डर लॉन्चिंग के दौरान ढह गया।	0	2023-2024	खराबी का कारण जानने के लिए तीन पुल विशेषज्ञों की एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है।
6	16	ओडिशा	किमी 96+326	मानवीय चूक	0	2021-2022	रियायतग्राही पर 30 लाख रुपये का जुर्माना और स्वतंत्र इंजीनियर पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। रियायतग्राही के टीम लीडर और प्रमुख कर्मियों को निलंबित कर दिया गया।
7	215 (नया एनएच-20)	ओडिशा	किमी 35+341	नए ठेकेदार द्वारा निर्मित पियर कैप का मौजूदा पियर पर अनुचित बंधन (शेष कार्य)। एक क्रेन ने गलती से पहले से रखे गए गर्डर को टक्कर मार दी जिससे गर्डर गिर गया और विलक्षण लोडिंग के कारण पियर कैप उतर गया।	0	2022-2023	एनएचएआई ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी जिसने साइट का दौरा किया और उनकी सिफारिश के अनुसार, ठेकेदार द्वारा आईआईटी के माध्यम से बहाली योजना तैयार की गई और उसे अपने जोखिम और लागत पर क्रियान्वित किया गया। आरओ, ओडिशा ने ठेकेदार पक्ष से 3 कर्मियों और पर्यवेक्षण सलाहकार पक्ष से 2 कर्मियों के संबंध में निलंबन आदेश जारी किया है।
8	510	सिक्किम	सिंगताम-तरकु (किमी 0+070)	अत्यधिक वर्षा और हिमनद झील विस्फोट के कारण बाढ़	2	2023-2024	लागू नहीं

9	785	तमिलनाडु	किमी 2+850	बियरिंग ठीक करते समय हाइड्रोलिक जैक की खराबी के कारण	1	2021-2022	एनएच-785 के मदुरै-चेट्टीकुलम सेक्शन के एलिवेटेड रोड के डाउन रैंप लोकेशन के पियर पी4 और पी5 के बीच किमी 2+850 पर 3 गर्डर (जी1, जी2 और जी3) बियरिंग लगाते समय हाइड्रोलिक जैक की खराबी के कारण ढह गए और ईपीसी ठेकेदार और एई के खिलाफ कार्रवाई की गई; ईपीसी ठेकेदार: मेसर्स जेएमसी प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, मुंबईएनएचएआई मुख्यालय ने दिनांक 28.01.2022 के पत्र के तहत ठेकेदार को 13.09.2021 से 28.01.2022 (अर्थात अंतरिम कार्रवाई की तारीख) तक एनएचएआई की बोलियों में भाग लेने से रोकने के आदेश जारी किए । इसके अलावा, एनएचएआई, मुख्यालय ने एलआर संख्या 46597 दिनांक 28.01.2022 को ठेकेदार पर 3.00 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है और इसे दिसंबर, 2021 के महीने के लिए आईपीसी संख्या 36 से ईपीसी ठेकेदार से वसूल किया गया है। प्राधिकरण इंजीनियर: मेसर्स योंगमा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने मेसर्स स्टर्लिंग इंडो टेक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से एनएचएआई मुख्यालय ने दिनांक 28.01.2022 के पत्र के माध्यम से ठेकेदार को 13.09.2021 से 28.01.2022 (यानी अंतरिम कार्रवाई की तारीख) तक एनएचएआई बोलियों में भाग लेने से रोकने के आदेश जारी किए। इसके अलावा, एनएचएआई, मुख्यालय एलआर . संख्या 46595 दिनांक 28.01.2022 ने प्राधिकरण अभियंता पर 40.00 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और इसे दिसंबर 2021 के महीने के चालान संख्या 09 और जनवरी 2022 के महीने के चालान संख्या 10 से प्राधिकरण अभियंता से वसूल किया गया है। इसके अलावा, एनएचएआई, आरओ, मदुरै ने एलआर . संख्या 1668 दिनांक 03.09.2021 के तहत ईपीसी ठेकेदार में 4 प्रमुख कर्मियों और एई में 6 प्रमुख कर्मियों को निलंबित कर दिया ।

10	36	तमिलनाडु	किमी 107+400 (प्रमुख पुल)	हाइड्रोलिक जैक की खराबी के कारण आरएचएस का सेगमेंटल गर्डर नीचे गिर गया	0	2022-2023	1. 22.01.2022 को कोल्लिडम नदी पर अनाईकराई मेजर ब्रिज के किलोमीटर 107+400 पर हाइड्रोलिक जैक की यांत्रिक विफलता के कारण आरएचएस कैरिजवे के पी16-पी17 पर सेगमेंटल गर्डर गिर गया। 2. तत्काल दुर्घटना को मामूली विफलता में वर्गीकृत किया गया है जो विशेषज्ञ समिति द्वारा राय के अनुसार गैर-मजबूत अस्थायी संरचना/लॉन्चिंग-लोअरिंग सिस्टम के कारण हुई। 3. दुर्घटना के तत्काल प्रभाव से रियायतग्राही के स्वतंत्र इंजीनियर (2 नंबर) और साइट इंजीनियर (2 नंबर) के प्रमुख कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और उन्हें काली सूची में डाल दिया गया है। रियायतग्राही फर्म को अगले आदेश तक किसी भी एनएचएआई बोली में भाग लेने से रोक दिया गया है। 4. सक्षम प्राधिकारी ने रियायतग्राही/रियायतग्राही के प्रमोटर (पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) पर बीपीसी का 0.5% के बराबर 7.305 करोड़ रुपये का वित्तीय जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है, जो कि ढह गए गर्डरों/स्पैन के पुनर्निर्माण और अपने स्वयं के खर्च पर इसके सुधार के अलावा चूक/ढिलाई के लिए है। 5. आईई (मेसर्स थीम इंजीनियरिंग सर्विसेज) पर 5 लाख रुपये का सांकेतिक जुर्माना लगाया गया है। आईई ने यह जुर्माना राशि 29.08.2022 को "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण" के पक्ष में भेज दी है।
11	248 बीबी	दिल्ली	किमी 0+072 से 0+112	हाइड्रोलिक जैक की यांत्रिक खराबी	1	2022-2023	ठेकेदार को चेतावनी जारी की गई

****